**संख्या- 275 /2025/ 2217 /चार-2025-1948348**

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ।

**संस्कृति अनुभाग:** **लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक कलाकारों को ग्राम पंचायतों के समन्वय से वाद्य-यंत्र क्रय कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के समस्त आंचलिक क्षेत्रों में संस्कृति को अक्षुण्ण रखने वाली समस्त सांस्कृतिक मण्डलियों को मानवर्द्धन स्वरूप ग्राम पंचायत स्तर पर लोक, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन, प्रशिक्षण, प्रस्तुतिकरण एवं गुरू शिष्य परम्परा के निर्वहन हेतु संस्कृति विभाग द्वारा वाद्य-यंत्र दिये जाने संबंधी योजना प्रभावी है। उक्त कार्ययोजना के अन्तर्गत एक सेट वाद्य-यंत्र (हारमोनियम, ढोलक, झांझ, मंजीरा, घुंघरू) संस्कृति विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

2. प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं स्थानीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर संस्कृति के संवर्द्धन एवं उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रीयकृत क्रय करते हुए चयनित ग्राम पंचायतों को वाद्य-यंत्रों का एक-एक सेट दिया जाना है।

3. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाद्य-यंत्रों का केन्द्रीयकृत क्रय कर चयनित ग्राम पंचायतों को एक-एक सेट प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

(1) संस्कृति विभाग, उ०प्र० द्वारा 'लोक कलाकारों को वाद्य-यंत्र हेतु अनुदान' योजना के अन्तर्गत 'वाद्य-यंत्र -सेट' (हारमोनियम, ढोलक, झांझ, मंजीरा, घुंघरू) का 'केन्द्रीयकृत क्रय' किया जायेगा एवं चरणबद्ध रूप से प्रदेश के चयनित ग्राम पंचायतों को एक-एक सेट वाद्य-यंत्र प्रदान किया जायेगा।

(2) लोक कलाकारों के हितार्थ एवं प्रोत्साहन के दृष्टिगत शत-प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा वहन की जायेगी।

(3) समिति द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों को वाद्य-यंत्रों का एक-एक सेट इस हेतु आयोजित मुख्य समारोह में प्रदान किया जायेगा।

(4) वाद्ययंत्रों के सेट पर 'संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश' का नाम अंकन कराया जाना अनिवार्य होगा।

(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पूर्व में चयनित ग्राम पंचायतों, जिन्हें 'वाद्य-यंत्र -सेट' (हारमोनियम, ढोलक, झांझ, मंजीरा, घुंघरू) प्रदान किया जा चुका है, को छोड़कर, अन्य ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) वाद्य-यंत्रों के रख-रखाव एवं मरम्मत का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा।

(7) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामसभा के ग्रामीणजनों/लोक कलाकारों द्वारा मांगे जाने पर वाद्य-यंत्र सांस्कृतिक आयोजनों हेतु उपलब्ध कराये जायेगें जिसका विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

(8) वाद्य-यंत्रों का उपयोग उत्तर प्रदेश स्थानीय संस्कृति के उन्नयन, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण/ संवर्द्धन के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ तथा सरकार द्वारा संचालित अन्य लाभार्थी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु भी किया जायेगा।

(9) ग्राम पंचायतों द्वारा युवा पीढ़ी को स्थानीय कला सांस्कृतिक विधाओं को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों को आयोजित कर बढ़ावा दिया जायेगा।

(10) बजट उपलब्धता की स्थिति में शासन के अनुमोदनोंपरान्त लोक कलाकारों को भी वाद्य-यंत्र प्रदान किया जा सकेगा।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर समस्त संबंधितों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।